रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2003/वैशाख 17, 1925 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 99
No. 73] DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2003/VAISAKHA 17, 1925 [N.C.T.D. No. 99

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

(राज्य परिवहन प्राधिकरण)

अधिसूचना

दिल्ली, 7 मई, 2003

फा.सं. 61/60/सचिव/एसटीए/2002/2681.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 की उपधारा 41 और धारा 212 के साथ पठित धारा 96 की उपधारा 2 के खंड (18) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल आपत्तियों और सुझावों पर विचार करते हुए दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 दिनांक 11-12-2002 में पूर्व प्रकाशनों के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाते हैं।

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :**—(1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियमावली, 2003 कहा जा सकेगा। ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से नब्बवें (90) दिन से प्रभावी होंगे।

2. **नये नियम 71क, 71ख, 71ग, 71घ, 71ङ और 71च का समावेशन :**—मूल नियमावली के नियम 71 के उपरांत नए नियम 71क, 71ख, 71ग, 71घ, 71ङ और 71च के समावेशन किये जाएंगे :—71क अशोक लेयलैंड (60 प्रतिशत रियर ओवर हैंग सहित आई. बी. ई. सी. ओ. सी. एन. जी. इंजिन चैसिस के साथ जुड़ा वीकिंग 5639 एमएम व्हील बेस) और 60 प्रतिशत रियर ओवर हैंग सहित कुभ्भिनज सी. एन. जी. के साथ जुडी एल. पी. ओ. 1510-जीजीएस/55—5545 मि. मीटर व्हील बेस चैसिस पर तैयार दिल्ली परिवहन निगम संपीड़ित प्राकृतिक गैस स्टेज एवं कंट्रैक्ट कैरिज के लिए रंग विन्यास योजना।

बाह्य भाग

1.	छत, मध्यवर्ती सुपर लेवल से ऊपर सामने वाले और पिछले छोरों के निकट व ऑफ साइडज लोअवर्स	सुपर व्हाइट
2.	खिड़की फ्रेम रियर आफसाइड और वेंट एवं बेसेंट रेल के बीच समीपवर्ती साइड भाग (पोरशन)	काला मैट
3.	स्ट्रेचिड पेनल फ्रंट और रियर बैंड (पट्टी) सहित।	पीली

1284 DG/2003

4. **संपीड़ित प्राकृतिक मैसपट्टी**

(क) सुपर व्हाइट, इंडिया ग्रीन समीपवर्ती साइड और ऑन आफ साइड रियर (पीछे) से पिछले प्रवेश द्वार पर रियर मध्यवर्ती लेवल तक ऊपरगामी ढलान सहित, बिल्कुल साइड रथ रेलज के नीचे 100 मि. मीटर चौड़ी सुपर व्हाइट और ये बैंडज स्टेज कांट्रेक्ट कैरिज के सामने तथा पिछले वाले छोरों पर निरंतर अपने लेवल तक बने रहेंगे।

(ख) साइड की खिड़की के ऊपर लम्बाई में समीवपर्ती और ऑफ साइड लोअवर्स के बीच में 100 मि. मीटर चौड़ी एक इंडिया ग्रीन रंग की पट्टी के साथ निकटवर्ती ओर ऑफ साइड लोअवर्स।

5.	स्कर्ट पेन सामने व पिछली पट्टी सहित।	फिरोजी
6.	फ्रंटा व रियर बम्पर	अन्त में मैट ब्लैक
7.	व्हील रिंग/डिस्क लायलैंड	ब्लैक मैट
	टाटा	ब्लैक मैट

आंतरिक

	एल्यूमीनियम शीट पेनलिंग गंतव्य बाक्स, सीट बैक	दुधिया
	रेस्टज, मध्यम धनत्व फाइवर बोर्ड डैश बोर्ड पेनलिंग	(ओपलाईन) हरा
2.	बोनट, सीट	ब्लैक मैट
	फ्रेम, फुट स्टुल	फिनिश

मंजिल बाक्स अंदर से सुपरव्हाइट एवं मंजिल बोर्ड काले पेंट मैट फिनिश से पेंट किये जाएंगे।

स्टेंसिल छपाई

डी.टी.सी. : प्रतीक चिन्ह तथा मोनोग्राम स्ट्रेच पेनल पर हिन्दी में निकास द्वार के पास तथा अंग्रेजी में ड्राईवर दरवाज के पास दूसरी तरफ स्टेंसिल प्रिंटिंग में होंगे। अंग्रेजी में **''प्रोपेल्ड बाई''** क्लीन फसूल आफ साईट में तथा **''स्वच्छ ईंधन द्वारा चालित''** हिन्दी में स्ट्रैच पेनल सेंटर लाईन पर नीयर साईड पर नीयर साईड पर लम्बाई में आक्सफोर्ड ब्ल्यू पेंट से तथा इसी प्रकार **''सी.एन.जी. बस''** सामने तथा रीचर फेस पर क्रमशः हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखा जायेगा।

शेड्स

भारतीय मानक ब्यूरों के अनुसार :—

5—1978 (या अंतिम) निम्न अनुसार :—

1.	सुपर व्हाइट	
2.	इंडिया ग्रीन	भारतीय मानक ब्यूरो शेड नं. 284
3.	ब्लैक मैट	
4.	ओप्लाइन ग्रीन	भारतीय मानक ब्यूरो शेड नं. 275
5.	टरकोजब्लयू	भारतीय मानक ब्यूरो शेड नं. 102
6.	केनेरी येलो	भारतीय मानक ब्यूरो शेड नं. 309
7.	आक्सफोर्ड ब्ल्यू	भारतीय मानक ब्यूरो शेड नं. 105

71 (ख) संपीड़ित प्राकृतिक गैस द्वारा चालित प्राईवेट स्टेज कैरिज जो अशोक लीलैंड (वाईकिंग 5639 एम. एम. व्हील बेस फिटिड विद आई. बी. ई. सी. ओ. सी. एन. जी. इंजिन चैरिए 60 इंटीयर ओवर हैंग के साथ) तथा टाटा (एलपीओ 1510—जीजीएस/55—5545 एम. एम. व्हील बेस चेसिस क्यूमिन सी. एन. जी. के साथ फिटिड) (रीयर ओवर हैंग) चेसिस।

(1) **बाहरी**

(i) छत, फ्रंट तथा रीयर एंड्स वेस्ट लेवल से ऊपर नीयर एंड ऑफ साइड्स लीवर्स — सुपरव्हाइड

(ii) विंडो, फ्रेम, रीयर ऑफ साईट तथा नीयर मेट तथा बेस्ट रेल के साईड पोर्शन के बीच का भाग — ब्लैक मैट

(iii) स्ट्रेंड पैनल, फ्रंट एवं रीयर वैंड सहित — टरहोजा ब्ल्यू

(iv) सी. एन. जी. बंड्स

(क) सुपर वाईड, इंडिया ग्रीन, सुपर वाईट प्रत्येक 100 एम एम चौड़ा, साइज रब रेल के पीछे यह स्टैच्ड पैनल के नीचे ऊपर की ओर स्लोप के साथ रीयर वेस्ट लेवल तक रीयर पर। मे बंड बस के फ्रंट तथा रीयर साईड पर अपने लेबल पर लगातार बनेंगे।

(ख) नीयर तथा ऑफ साइड्स लोवर 100 एम एम चौड़े इंडिया ग्रीन बैंड के साथ बीच में ऑफ साईड लीवर नीयर एंड में लम्बाई में साईड विंडो के ऊपर।

(v) स्कर्ट पैनल जिसमें सामने का और रीयर बैंड सम्मिलित है — कैनरी पीला

(vi) सामने का और रीयल बम्पर — ब्लैक मैट फिनिश

(vii) व्हील/रिम डिस्क — ब्लैक मैट

लैंड — चेसिस

टाटा — ब्लैक मैड फिनिश

2. **आंतरिक**

1. एल्यूमिनियम सीट डी बाक्स के समानान्तर सीट बैक, रेस्ट, मीडियम डेनसिटी, फाइवर बोर्ड डंश बोर्ड पैनलिंग — ओपलाईन हरा

2. बोनट, सीट फ्रेम, फुट स्टूल — ब्लैक मैट फिनिश

अंदर के डेस्टिनेशन बाक्स सुपर व्हाइट तथा हेस्टिनेशन बोर्ड काला रंग मैट फिनिश से रंगे जायेंगे।

3. **स्टेंसिल प्रिंटिंग**

प्रवेश द्वार पर हिन्दी में तथा निकास गेट पर अंग्रेजी में ''**स्टेज कैरियर**'' का प्रिंटिंग स्टेंसिल होगा। इसी तरह आपात् दरवाजे के पास ऑफ साइड में हिन्दी में तथा ड्राईवर दरवाजे के पास अंग्रेजी में लिखा होगा। ''**स्टेज कैरिज**'' का अक्षर ''एस'' तथा ''सी'' 120 एम. एम. की ऊंचाई तक तथा 20 एम. एम. चौड़ाई तक होगा। शेष अक्षर 90 एम. एम. ऊंचाई तक तथा एम. एम. चौड़ाई तक स्माल लैटर्स में होंगे। ऑफ साइड पर अंग्रेजी में ''**प्रोपेलड बाई क्लीन फ्यूल**'' हिन्दी में ''स्वच्छ ईंधन द्वारा चालित'' इस पर स्टेंसिल प्रिंट तथा स्ट्रेच पेनल सेंटर लाइन पर नीयर साइड पर हिन्दी में ऑक्सफोर्ड ब्लू पेंट से लिखा जाएगा।

4. **शेड**

18-5-1978 (या अद्यतन) के अनुसार, निम्नलिखित विवरण के अनुसार :—

1. सुपर व्हाइट
2. इंडिया ग्रीन : आइ एस शेड नं. 284
3. ब्लैक मैट :
4. आपलिन ग्रीन : आइ एस शेड नं. 275

5. टरकाज नीला : आइ एस शेड नं. 102

6. कैनेरी पीला : आइ एस शेड नं. 309

7. ऑक्सफोर्ड नीला : आइ एस शेड नं. 105

71ग अशोक लेलैंड (मीकिंग 5639 एम.एम. व्हील बेस 60 प्रतिशत रियर ओवर हैंग सहित आई.वी.ओ.सी.एन.जी. सहित व्हील बेस फिटिड) पर सी.एन.जी. प्रोपैल्ड कांट्रक्ट कैरिज फेब्रिकेटिड के लिये रंग योजना तथा टाटा (60 प्रतिशत रियर ओवर हैंग सहित क्यूमिंस सी.एन.जी. सहित एस.पी.ओ. 1510 जी.जी.एस./55—5545 एम.एम. व्हील बेस चेसिस) चेसिस।

1. **बाह्य**

1.	छत, सामने और रियर अंतिम के ऊपर बेस्ट लेवले, नीयर और आफ साइड लोवर्स	कैनरी पीला
2.	खिड़की फ्रेम, रियर आफ साइड तथा नीयर साइड पोरशन (वेंट तथा वेस्ट रेल के बीच)	ब्लैक मैट
3.	स्ट्रैंड पेनल जिसमें सामने का और रियर बैंड सम्मिलित है	कैनरी पीली

4. स्कर्ट पैनल

क. ग्रीन बैंड : इंडिया ग्रीन बैंड स्कर्ट के नीचे से चारों तरफ 315 एम.एम. चौड़ाई इंडिया ग्रीन रंग की पट्टी।

ख. सफेद पट्टी : लगभग 315 एम.एम. चौड़ा या रब रेल या हरी पट्टी से ऊपर चारों तरफ स्क्रेच्ड के एकदम नीचे तक सुपर व्हाईट बैंड।

6.	सामने और रियर बम्पर	ब्लैक मैट फिनिश
7.	व्हील रिम/डिस्क	ब्लैक मैट फिनिश
	लीलैंड	ब्लैक मैट फिनिश
	टाटा	ब्लैक मैट फिनिश

2. **आंतरिक :—**

(1)	एल्यूमीनियम शीट डी बाक्स के समानान्तर सीट बेक, रेस्ट, मीडियम डेनसिटी, फाइवर बोर्ड डंश बोर्ड पैनलिंग	ओपलीन हरा
(2)	बोनट, सीट फ्रेम, फुट स्टूल	ब्लैक मैट फिनिश

अंदर से डेस्टीनेशन बाक्स सुपर व्हाइट लथा डेस्टीनेशन बोर्ड काला रंग मैट फिनिश से रंगे जायेंगे।

(3) प्रवेश द्वार पर हिन्दी में तथा निकास गेट पर अंग्रेजी में ''स्टेज कैरियर'' का प्रिंटिंग स्टेंसिल होगा। इसी तरह आपात् दरवाजे के पास ऑफ साइड में हिन्दी में तथा ड्राईवर दरवाजे के पास अंग्रेजी में लिखा होगा। ''स्टेज कैरिज'' का अक्षर ''एस'' तथा ''सी'' 120 एम.एम. की ऊँचाई तक तथा 20 एम.एम. चौड़ाई तक होगा। शेष अक्षर 90 एम.एम ऊँचाई तक तथा 20 एम.एम. चौड़ाई तक स्माल लैटर्स में होंगे। ऑफ साइड पर अंग्रेजी में ''प्रोपेल्ड बाई क्लीन फ्यूल'' हिन्दी में ''स्वच्छ ईंधन द्वारा चालित'' इस पर स्टेंसिल प्रिंट तथा स्ट्रैच पैनल सेंटर लाइन पर नीयर साइड पर हिन्दी में आक्सफोर्ड ब्लू पेंट से लिखा जाएगा।

5. **शेड**

18-5-1978 (या अद्यतन) के अनुसार, निम्नलिखित विवरण के अनुसार :—

1. सुपर व्हाइट :
2. इंडिया ग्रीन : आई एस शेड नं. 284
3. ब्लैक मैट
4. आपलिन ग्रीन : आई एस शेड नं. 275

5.	टरकाज नीला	:	आई एस शेड नं. 102
6.	कैनेरी पीला	:	आई एस शेड नं. 309
7.	आक्सफोर्ड नीला	:	आई एस शेड नं. 105

71घ आयुक्त परिवहन लिखित में आदेश द्वारा उपरोक्त विनिर्दिष्ट नियम 71 क, 71 ख तथा 71 ग में, के अतिरिक्त बसों की अन्य श्रेणियों के लिये लिखित में आदेश द्वारा किसी भी प्रकार की रंग योजना को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

71ङ आयुक्त परिवहन लिखित में आदेश द्वारा स्टेज तथा कांट्रेक्ट कैरिजों के लिये निर्धारित रंग योजना में किसी भी प्रकार के संवर्धन या परिवर्तन की अनुमति दे सकता है।

71च इस नियम के उपबंध मोटर वाहन अधिनियम, सी एम वी आर 1989 तथा डी.एम.वी.आर. 1993 के वर्तमान उपबंधों के प्रतिकूल नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण:— ऑफ साइड का अर्थ है दाएं हाथ की तरफ या ड्राईवर की तरफ। नीयर साइड का अर्थ है बांई हाथ की तरफ या कंडक्टर की तरफ।

नियम 100 में संशोधन :—

प्रधान नियमों के नियम 100 को निम्न प्रकार से स्थानापन्न किया जाता है :—

100. पंजीयन चिन्ह् के अलावा अन्य विवरण जो कि वाहन पर प्रदर्शित किये जाने हैं—नियम संख्या 71ए, 71बी और 71सी को छोड़ते हुए कोई भी आकृति या चिन्ह् या संकेत या कोई लिखावट (मालिक का नाम व पता शामिल करते हुए) किसी भी सार्वजनिक सेवावाहन पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा। इस नियम के प्रावधान किसी भी प्रकार से मोटर वाहन अधिनियम, सी.एम.वी.आर. 1989 एवं डी.एम.वी.आर. 1993 के वर्तमान प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सिन्धुश्री खुल्लर, प्र. सचिव एवं आयुक्त (परिवहन)/अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण

TRANSPORT DEPARTMENT

(State Transport Authority)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th May, 2003

No. F-21(60)/Secy(STA)/2002/2681.—In exercise of the powers conferred by Clause (xviii) of sub-section 2 of Section 96 read with sub-section 41 of Section 2 and Section 212 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules after having made previous publications in the Delhi Gazette, Extraordinary Part-IV, dated 11-12-2002 for taking into consideration objections and suggestions thereto :

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2003. They shall come into force from the ninetieth day after their publication in the Delhi Gazette.

2. Insertion of new Rules 71-A, 71-B, 71-C, 71-D, 71-E and 71-F.—In the Principal Rule after Rule-71, the following new Rules 71-A, 71-B, 71-C, 71-D, 71-E and 71-F shall be inserted namely :—

71-A Colour Scheme for Delhi Transport Corporation Compressed Natural Gas Stage and Contract Carriages fabricated on Ashok Leyland (Viking 5639 mm Wheel Base fitted with IVECO CNG Engine Chassis with 60% rear Overhang) and Tata (LPO-1510-GGS/55-5545mm Wheel Base Chassis fitted with Cummins CNG with 60% rear Overhang) Chassis.

EXTERIOR

(i)	Roof, front and rear ends above waist level, near and off-sides louvers.	:	Super White

(ii)	Window frame, rear off side and near side portion between vent and waist rail.	:	Black Mat
(iii)	Stretched Panel including front and rear band.	:	Canary Yellow

(iv) **Compressed Natural Gas Bands**

(a) Super White, INDIA Green, Super White each of 100 mm wide just below side rub rails with upwards slope up to rear waist level from rear to rear entrance door on near side and on off-side. These bands will be continuous on front and rear ends of Stage and Contract Carriages at their levels.

(b) Near and off-sides louvers with a INDIA green band of 100 mm wide in center of near and off-side louvers longitudinally above side windows.

(v)	Skirt Panel including front and rear band.	:	Turquoise Blue
(vi)	Front and Rear Bumper	:	Black Mat finish
(vii)	Wheels Rim/Disc :—		
—	Leyland	:	Aluminium Paint
—	TATA	:	Aluminium Paint

NTERIOR

(i)	Aluminium Sheet Panelling Destination Box, Seat back Rests Medium Density Fibre Board, Dash Board Panelling.	:	Opaline Green
(ii)	Bonnet, Seat frame, foot stool.	:	Black Mat finish

Destination Boxes from inside in Super White and Destination Boards shall be Milky White Acrylic with printing in black paint.

STENCIL PRINTING

Stencil printing of DTC 'LOGO' and Monogram on stretch panel in Hindi on near side near exit gate and in English on off-side near driver door.

Stencil printing of slogan—'World's Largest **Eco-friendly C.N.G. Bus Service' in 'English' on off-side & in 'Hindi' on near side below Delhi Transport Corporation** on stretch panel at centre between the doors and the DTC logo shall be printed in Italics before and after the aforesaid slogan near the doors written with oxford blue paint and similarly **'CNG BUS'** on front and rear face in Hindi & English respectively.

SHADES

As per Bureau of Indian Standards :

5-1978 (or latest) as per latest below —

i.	Super White	:	—
ii.	INDIA GREEN	:	Bureau of Indian Standards Shade No. 284
iii.	Black Mat	:	—
iv.	Opaline Green	:	Bureau of Indian Standards Shade No. 275
v.	Turquoise Blue	:	Bureau of Indian Standards Shade No. 102
vi.	Canary Yellow	:	Bureau of Indian Standards Shade No. 309
vii	Oxford Blue	:	Bureau of Indian Standards Shade No. 105

71-B Colour Scheme for Compressed Natural Gas propelled Private Stage Carriages fabricated on Ashok Leyland (Viking 5639mm Wheel Base fitted with IVECO CNG Engine Chassis with 60% rear Overhang) and Tata (LPO-1510-GGS/55-5545mm Wheel Base Chassis fitted with Cummins CNG with 60% rear Overhang) Chassis.

1. EXTERIOR :—

(i)	Roof, front & rear ends above waist level, near & off-sides louvers.	: Super White
(ii)	Window frame, rear off side & near side portion between vent & Waist rail.	: Black Mat
(iii)	Stretched Panel including Front & Rear Band.	: Turquoise Blue

(iv) **CNG BANDS :—**

(a) Super White, INDIA Green, Super White each of 100 mm wide just below side rub rails or just below the stretched panel with upward slope upto rear waist level from rear to rear entrance door on near side and on off-side. These bands will be continuous on front and rear ends of bus at their levels.

(b) Near and off-sides louvers with a India Green band of 100 mm wide in centre off near and off-side louvers longitudinally above side windows.

(v)	Skirt panel including front and rear band	: Canary Yellow
(vi)	Front and rear bumper	: Black Mat Finish
(vii)	Wheel Rim/Disc Leyland Finish Tata	: Black Mat : Black Mat Finish

2. INTERIOR :—

(i)	Aluminium Sheet panelling D. Box, Seat back rests Medium Density Fibre Board, Dash Board panelling.	: Opaline Green
(ii)	Bonnet, Seat frame Foot stool	: Black Mat finish

Destination Boxes from inside in Supper White and Destination Boards shall be painted with Black paint mat finish.

3. STENCIL PRINTING :—

Stencil Printing of "Stage Carriage" in Hindi near entrance gate and in English near exit gate. Similarly in Hindi on off side near Emergency door and in English near Driver door. The letter 'S' and 'C' of the words "Stage Carriage" shall be printed in letter height 120 mm and letter thickness 20 mm.

The remaining letter shall be in 'small letters' with a height of 90 mm and thickness 20 mm. Stencil Printing of "PROPELLED BY CLEAN FUEL" in English on off-side and "SWACHH INDHAN DWARA CHALIT" in Hindi near side on stretch panel center line longtiudinally shall be written with Oxford Blue Paint.

4. SHADES :—

As per IS : 5-1978 (or latest) as per detail below.

(i)	Super White	: —
(ii)	INDIA Green	: IS Shade No. 284
(iii)	Black Mat	: —
(iv)	Opaline Green	: IS Shade No. 275
(v)	Turquoise Blue	: IS Shade No. 102
(vi)	Canary Yellow	: IS Shade No. 309
(vii)	Oxford Blue	: IS Shade No. 105

71-C Colour Scheme for Compressed Natural Gas Propelled Contract Carriage fabricated on Ashok Leyland (Viking 5639 mm Wheel Base fitted with IVECO CNG Engine Chassis with 60% rear Overhang) and Tata (LPO-1510-GGS/55-5545 mm wheel Base Chassis fitted with Cummins CNG with 60% rear Overhang) Chassis.

1. **EXTERIOR:—**

(i) Roof, front and rear ends above waist level, near and off-sides louvers. : Canary Yellow

(ii) Window frame, rear Off side and near side Portion between vent and Waist rail. : Black Mat

(iii) Stretched Panel including Front and Rear Band. : Canary Yellow

(iv) Skirt Panel :—

(a) Green Band : —INDIA Green Colour Band of 315 mm width all around from bottom of skirt.

(b) White Band :—Supper White Colour Band of about 315mm width or upto rub rails or upto just below the stretched panel all around above green band.

(vi) Front and rear bumper : Black Mat Finish

(vii) Wheel Rim/Disc Leyland : black Mat Finish

Tata : Black Mat Finish

2. **INTERIOR:**

(i) Aluminium Sheet panelling D. Box, Seat back rests Medium Density Fibre Board, Dash board panelling. : Opaline Green

(ii) Bonnet, Seat frame Foot stool : Black Mat finish

Destination Boxes from inside in Super White and Destination Boards shall be painted with Black paint mat finish.

3. **STENCIL PRINTING :—**

Stencil Printing of "Contract Carriage" in Hindi near entrance gate and in English near exit gate. Similarly in Hindi on off side near Emergency door and in English near Driver door. The letter 'C' of the words "Contract Carriage" shall be printed in letter height 120mm and letter thickness 20mm. The remaining letter shall be in 'small letters' with a height of 90mm and thickness 20mm. Stencil Printing of "PROPELLED BY CLEAN FUEL" in English on off-side and "SWACHH INDHAN-DWARA CHALIT" in Hindi on near side on stretch panel center line longtiudinally shall be written with Oxford Blue Paint.

4. **SHADES :—**

As per IS : 5-1978 (or latest) as per detail below.

(i) Super White : —

(ii) INDIA Green : IS Shade No. 284

(iii) Black Mat : —

(iv) Opaline Green : IS Shade No. 275

(v) Turquoise Blue : IS Shade No. 102

(vi) Canary Yellow : IS Shade No. 309

(vii) Oxford Blue : IS Shade No. 105

71-D The Commissioner, Transport may, by order in writing specify any colour scheme for other categories of buses other than as specified above in Rule 71-A, 71-B and 71-C.

71-E The Commissioner, Transport may, by order in writing allow any type of addition or alteration in the colour scheme prescribed for Stage and Contract Carriages.

71-F The provision of this rule will not be repugnant to any of the existing provisions of the M. V. Act, CMVR, 1989 and DMVR, 1993.

Explanation :—

Off side means right hand side or driver side.

Near side means left hand side or conductor side.

3. **Amendment in Rule 100.**—Rule 100 of the Principal Rules, shall be substituted as follows, namely :—

100. Particulars other than the registration mark to be exhibited by the vehicle.—Save as prescribed in Rules 71-A, 71-B and 71-C, no figure or icon or symbol or any writing including name and address of the owner shall be exhibited on any public service vehicle. The provision of this rule will not be repugnant to any of the existing provisions of the M. V. Act, CMVR, 1989 and DMVR, 1993.

By Order and in the name of
the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi.
SINDHUSHREE KHULLAR, Principal Secretary-cum-Commissioner
(Transport)/Chairperson

गृह (पुलिस) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 7 मई, 2003

सं. फा. 13/21/2002/पु.स्था./2197-2200.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप धारा (1) व (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल इसके द्वारा दिल्ली पुलिस (सेवा की सामान्य शर्तें) नियमावली, 1980 का संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियमावली

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (सेवा की सामान्य शर्तें) संशोधन नियमावली, 2003 कहे जाएंगे।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।

नियम 8 का संशोधन 2. दिल्ली पुलिस (सेवा की सामान्य शर्तें), नियमावली, 1980 के नियम 8 का खंड (ग) हटाया जाएगा।

HOME (POLICE) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 7th May, 2003

No. F. 13/21/2002/Home (P). Estt./2197-2200.—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules to amend the Delhi Police (General Condition of Service) Rules, 1980, namely :—

RULES

1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Delhi Police (General Condition of Service) (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 8. In the Delhi Police (General Condition of Service) Rules, 1980, in rule 8, clause (c) shall be omitted.

सं. फा. 13/21/2002/गृ.-पु/स्था. 2201-04.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में संशोधित के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

नियम संक्षिप्त शीर्ष

1. ये नियम दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2003 कहे जायेंगे।
2. ये दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

नियम 22 के लिए नये नियम का प्रतिस्थापना :—

3. दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 के नियम 22 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जायेंगे, अर्थात् :—

''अपर एवं अपर अधीनस्थ के रैंक में वरिष्ठता का प्रारंम्भिक गणना प्रथम नियुक्ति की तिथि से तथा अवर रैंक से पदोन्नत अधीनस्थ रैंक के अधिकारी उस व्यक्ति से वरिष्ठ माने जाते है जिसकी उसी दिन उसी रैंक में सीधी भर्ती हुई हो। उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के पद पर

किसी परीक्षा या चयन के कारण नियुक्ति के मामले में वरिष्ठता चयन बोर्ड द्वारा मैरिट के क्रम से रख ली जायेगी और मैरिट को कोई आदेश नहीं किया गया है तथा प्रत्याशी की आयु से, अधिक आयु वाला सबसे वरिष्ठ तथा सबसे छोटा सबसे कनिष्ठ/सीधी भर्ती वाले उप-निरीक्षकों (कार्यकारी) की पारस्परिक वरिष्ठता उनके द्वारा कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा/साक्षात्कार तथा पुलिस प्रशिक्षण स्कूल/कालेज में अंतिम परीक्षा में प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर तय की जायेगी।''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

राजीव काले, अतिरिक्त सचिव

No. F. 13/21/2002/Home (P). Estt./2201-04.—In exercise of the powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely :—

RULES

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

Substitution of new rule for rule 22. 2. In the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, for rule 22 the following rule shall be substituted, namely :—

"Seniority in the rank of upper and lower subordinate shall be initially reckoned from the date of first appointment, and officer of subordinate rank promoted from a lower rank being considered senior to persons appointed direct to the same rank on the same day. The seniority of direct recruits in all ranks except Sub-Inspector (Executive) appointed as a result of some examination or selection shall be reckoned by the order of merit determined by the selection Board and in case no order of merit is indicated, by the age of candidates, the oldest being placed senior most and the youngest the junior most. The inter-se seniority of directly recruited Sub-Inspector (Executive) shall be fixed on the basis of total of marks obtained by them in the Staff Selection Commission Examination/Interview as well as in the final examination held at Police Training School/College."

By Order and in the name of the
Lieutenant Governor, or the
National Capital territory of Delhi,

RAJIV KALE, Addl. Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 7 मई, 2003

सं. फा. 1/17/2002/गृ.-पु/स्था. 2207 से 2211.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना सं. V-11011/2/74-यूटीएल (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 3 के खंड (एस) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 10 मार्च, 1988 की अधिसूचना सं. 12(6)/88-गृ.पु.-11 के आंशिक अतिक्रमण में तथा 1 जून, 1988 के समसंख्यक शुद्धि पत्र के संदर्भ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल यह निदेश देते है और घोषणा करते हुए कि निम्नलिखित अनुसूची में यहां बाद में वर्णित क्षेत्रों का पुलिस स्टेशन तिमार पुर दिल्ली पुलिस जिला उत्तरी के अधिकार क्षेत्र से हटाया जाएगा तथा दिल्ली मैट्रो रेल निगम के निर्माण कार्य की समाप्ति तक तत्काल सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा।

अनुसूची

सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में अस्थाई रूप से सम्मिलित तथा तिमारपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र से निष्कासित क्षेत्र

''चन्द्रावाल रोड क्रासिंग और उसके बाद मैगजीन रोड (मिलाकर) बाहरी रिंग रोड क्रासिंग तक ट्रक पार्किंग (छोड़कर) तक शिव बस्ती तक''

उपरोक्त दोनों पुलिस स्टेशन का संशोधित अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित अनुसूची में तुरंत परिभाषित होगा :—

अनुसूची

क्र. सं.	पुलिस		अधिकार क्षेत्र
1.	तिमार पुर	दक्षिण	गंदा लाला माल मोड़ (माल रोड को छोड़कर) से माल रोड/मैग्जीन रोड क्रॉसिंग (छोड़कर) तक तथा उसके बाद माल रोड से दिल्ली मेट्रो रेल निगम परियोजना की दीवार के साथ-साथ बाहरी रिंग रोड तक, मैग्जीन रोड/बाहरी रिंग रोड क्रॉसिंग (छोड़कर) तक
		पूर्व	यमुना नदी का पूर्वी किनारा तथा तिब्बतीयन कॉलोनी से बाल्मिकी मंदिर के पास नाले तक (नाला छोड़कर) तथा उसके बाद वजीराबाद पुल शिव, मंदिर गाँव जगत पुर तथा गाँव बुराड़ी सहित बुराड़ी तक।
		उत्तर	गाँव बुराड़ी (भू-राजस्व सीमा) के साथ यमुना नदी।
		पश्चिम	यमुना नदी (बुराड़ी) से कच्चा रोड़ पूर्व से नत्थुपुरा गाँव तक तथा बुराड़ी नाला सहित नत्थुपुरा गाँव से बाहरी रिंग रोड़ तक तथा उसके पश्चात् बाहरी रिंग रोड (मिलाकर) क्रॉसिंग बाहरी रिंग रोड/बुराड़ी रोड क्रॉसिंग तक और उसके पश्चात् दांयी तरफ बुराड़ी रोड़ पुस्ता (संतोख सरोवर) तक और उसके पश्चात् नेहरू विहार गंदा नाला पुस्ता से गंदा नाला माल रोड क्रॉसिंग तक (नजफगढ़ नाला)।—
2.	सिविल लाइन	पश्चिम	पुरानी सब्जी मंडी चौक हिन्दूराव अस्पताल मार्ग (मार्ग सहित) से चौक मुरजा क्रॉसिंग तक और उसके बाद बांयी तरफ कमला नेहरू रिज़ रोड के मुख्य प्रवेश तक रिज़ रोड़ (छोड़कर) और उसके बाद माल रोड़ मैग्नीज रोड़ क्रॉसिंग तक (मिलाकर)
		उत्तर	मैग्नीज रोड़/माल रोड़ क्रॉसिंग (सहित) से बाहरी रिंग रोड/मैग्नीज रोड क्रॉसिंग तक (सहित) चन्द्रावल रोड मैग्जीन रोड के सरस्ते (मैगजीन रोड बाहरी रिंग रोड तक पूरा मिलाकर) तथा दीवार सहित दिल्ली मैट्रो रेल निगम द्वारा आच्छादित पूरा क्षेत्र और उसके पश्चात् मैग्जीन रोड़/बाहरी रिंग रोड क्रॉसिंग तक पश्चिम की तरफ (तिब्बतीयन कॉलोनी के सामने बाहरी रिंग रोड सहित) बाल्मिकी मन्दिर के पास नाले से प्रारंभ युमना नदी के पूर्वी किनारे तक।
		पूर्व	यमुना नदी के पूर्वी किनारे से (यमुना नदी सहित) तथा गुरूद्वारा मजनु का टीला सहित नया आई. एस.बी.टी. पुल (सहित) तक।
		दक्षिण	यमुना नदी/बुलवर्ड रोड (सड़क सहित) से बुलवर्ड रोड़/कोर्ट रोड क्रॉसिंग तक तथा उसके पश्चात् बुलवर्ड रोड़ क्रॉसिंग/कोर्ड रोड से (सहित) पुरानी सब्जी मंडी चौक (बुलवर्ड रोड सहित) तक।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव काले, अतिरिक्त सचिव

HOME POLICE-I
(Establishment Department)
NOTIFICATION

Delhi the 7th May, 2003

F. No. 1/17/2002/HP-I/Estt./2207 to 2211.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. V-11011/2/74-UTL (i) dated 20th March, 1974 and in partial supersession of this Government's Notification F. 12(6)/88-H.P. II, dated the 10th March, 1988 and corrigendum of even number dated the 1st June, 1988, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct and declare that the areas hereinafter described in the Schedule below, shall be excluded from the jurisdiction of Police Station Timar Pur, Delhi, Police Distt. North and included in the

jurisdiction of Police Station Civil Lines, Delhi with immediate effect till the completion of construction work of Delhi Metro Rail Corporation in the area :—

SCHEDULE

The area included temporarily within the jurisdiction of Police Station Civil Lines and excluded from the area of Police Station Timar Pur.

"Chandrawal Road Crossing and then Magazine Road (inclusive) up to outer Ring Road crossing, Shiv Basti up to Truck parking (exclusive)."

The revised jurisdiction of the above mentioned two Police Stations shall henceforth be defined in the schedule below :—

SCHEDULE

Sl. No.	Police Station		Jurisdiction
1.	Timarpur	South	From Ganda Nala Mall Road (Mall Road exclusive) upto Mall Road/Magazine Road crossing (exclusive) and then Mall Road to Outer Ring Road along the wall of DMRC Project upto crossing of Magazine Road/Outer Ring Road (crossing exclusive).
		East	Eastern Bank of Yamuna River and Tibetan colony upto Nala near Balmiki Mandir (Nala exclusive) upto Outer Ring Road (outer Ring Road crossing) and then up to Burari along with Wazirabad bridge, Shiv Mandir, Vill. Jagatpur and Vill. Burari.
		North	Yamuna River along village Burari (land revenue limits).
		West	East of Kacha Road from Yamuna River (Burari) upto Vill. Nathu Pura and from Village Nathupura along Burari Nala upto Outer Ring Road and then Outer Ring Road (inclusive) upto crossing Outer Ring Road/Burari Road crossing and then on right, Burari Road upto Pusta (Santokh Sarover) and then from Ganda Nala Pushta of Nehru Vihar upto Ganda Nala (Nagafgarh Drain) Mall Road crossing.
2.	Civil Lines	West	From Chowk Old Subzi Mandi, Hindu Rao Hospital Marg (Marg inclusive) upto Chauburaja crossing and then on left upto main entrance to Kamla Nehru Ridge Road, Ridge Road (exclusive) and then upto Mall Road, Magazine Road crossing (inclusive).
		North	From Magazine Road/Mall Road crossing (inclusive upto crossing outer Ring Road/ Magazine Road (inclusive) through Chandrawal Road/Magazine Road crossing (Magazine Road total inclusive upto Outer Ring Road) and entire area covered by DMRC along with wall and then towards west upto Magazine Road/Outer Ring Road crossing (Outer Ring Road inclusive in front of Tibatan Colony) upto eastern bank of Yamuna River starting from Nala near Balmiki Mandir.
		East	From eastern bank of Yamuna River (Yamuna River inclusive) and Gurudwara Manju Ka Tila inclusive upto New ISBT Bridge (inclusive).
		South	From Yamuna River/Boulevard Road (Road inclusive) upto crossing Boulevard Road/Court Road and then from crossing Boulevard Road/Court Road (inclusive upto Chowk Old Subzi Mandi) (Boulevard Road inclusive).

By Order and in the name of the
Lieutenant Governor of
National Capital Territory of Delhi,
RAJIV KALE, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.